

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-दो

बुधवार, दिनांक 19 फरवरी, 2014 (फाल्गुन 30, 1935)

सभा के गर्भगृह में आने पर स्वयमेव निलंबन

बुधवार, दिनांक 19 फरवरी, 2014 को सदन की कार्यवाही में व्यवधान कर माननीय डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य ने गर्भ गृह में प्रवेश किया। फलस्वरूप छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमवाली के नियम 250 (1) के अंतर्गत वे स्वमेव निलंबित हो गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य के निलंबन की अवधि बुधवार, दिनांक 19 फरवरी, 2014 को ही तुरंत समाप्त कर दी गई है।

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव.